भारत का पाक पर तीखा प्रहार

- सुरक्षा परिषद की खुली बहस में हुई बहस
- संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी उठाए सवाल

नई दिल्ली, 24 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कथित दमन और मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया है.

भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरिश ने कहा कि पाकिस्तान में लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता पर लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के तंत्र को मजबूत करने' विषय पर आयोजित बहस में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाए जाने के बाद भारत ने जवाब दिया. पी. हरिश ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में लोगों के मौलिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन की आजादी के दमन को देख रही है. भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में होने वाली घटनाएं किसी एक घटना तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही नीतियों का परिणाम हैं. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अन्य देशों में समान घटनाओं पर जिस तरह प्रतिक्रिया दी जाती है, वैसी प्रतिक्रिया पाकिस्तान के मामलों में दिखाई नहीं देती.

पी. हरिश ने पाकिस्तान में राजनीतिक हालात का जिक्र करते हुए नेताओं की गिरफ्तारी और विपक्षी दलों पर कार्रवाई जैसे मुद्दे भी उठाए. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली गतिविधियां चिंता का विषय हैं. भारत ने पाकिस्तान के संवैधानिक बदलावों और सेना की भूमिका पर भी टिप्पणी की.

> भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि सेना के प्रभाव ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित किया है. उन्होंने कहा कि पाक को अपने आंतरिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने के लिए नहीं करना चाहिए. भारत ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा. भारत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को लेकर एकमात्र लंबित विषय पाकिस्तान द्वारा भारत के क्षेत्र पर अवैध कब्जे से जुड़ा है.

पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द

दिल्ली पुलिस प्रशासन ने जारी किया आदेश

पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की नियमित छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं.

नई दिल्ली, 24 जुलाई. राजधानी में सीजेपी प्रदर्शन और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने जारी आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी. इसमें दिल्ली पुलिस के सभी स्तर के कर्मचारी शामिल हैं. यानी कांस्टेबल से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक किसी को भी सामान्य छुट्टी, अर्जित अवकाश या अन्य नियमित अवकाश नहीं मिलेगा. पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत बनाए रखना आवश्यक है.

ईरान को कीमत चुकानी होगी

अमेरिका सैन्य अभियान जारी रखेगा : ट्रंप

वाशिंगटन, 24 जुलाई. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि ईरान के साथ बढ़ते तनाव के दौरान वाणिज्यिक जहाजों या कार्गो को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई अमेरिका के कब्ज़े में मौजूद ईरान की जब्त की गयी संपत्ति से की जाएगी. साथ ही, उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका तुरंत युद्धविराम करने के बजाय ईरान के खिलाफ अपना सैन्य अभियान जारी रखेगा.

श्री ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, जहाजों या कार्गो को हुए किसी भी नुकसान का भुगतान ईरान के उस पैसे से किया जाएगा जो अमेरिका के कब्ज़े और नियंत्रण में है.

आज का इतिहास

1689- फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की.
1813- भारत में पहली बार नौका दौड़ स्पर्धा कलकत्ता में.
1837- इलेक्ट्रिक टेलिग्राफ के इस्तेमाल का पहली बार सफलतापूर्वक प्रदर्शन.
1920- मध्य प्रदेश के पाँचवें पूर्व मुख्यमंत्री गोविन्द नारायण सिंह का जन्म.
1963- अमेरिका-रूस व ब्रिटेन के परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर.

In The Supreme Court of India' Civil Original Jurisdiction I.A. No. 168194/2026- Application For Substituted Service Through Paper publication In Transfer Petition (Civil) No. 3676 OF 2025

Lali Chaudhary .....Petitioner(s) Versus **Shubham Chaudhary** .....Respondent (s)

To,
1. Shubham Chaudhary S/o Virendra Chaudhary, R/o-Village and Post - Rampura, P.S Singhwada Darbhanga - 847123, Bihar PID: 158954/2026 for R[1] In T.P (C) NO.3676/2025 (SEC XVI-A) (REF: HMA NO. 1032 OF 2024) **2.** Shubham Chaudhary, S/o Virendra Chaudhary Currently Residing At: Shain Nagar, Street No. 2, House No. 211, Musakhedi Indore, Madhya Pradesh-452001 PID: 158961/2026 in T.P(C) NO.3676/2025 (Sec XVI-A) (Ref.: HMA No. 1032 of 2024) Whereas the Petition under Section 25 of the Code of Civil Procedure, 1908, above-mentioned, along with an application for condonation of delay in refiling/curing the defects, exemption from filing O.T., substituted service seeking transfer of HMA No. 1032 of 2024 titled as "Shubham Chaudhary Vs. Lali Chaudhary", pending before the Family Court Indore, Madhya Pradesh, under the jurisdiction of High Court of Madhya Pradesh, to the Family Court/Competent Court at Muzaffarpur, Bihar, under the jurisdiction of the High Court of Bihar [Copy enclosed] filed by Mr. Mohd Faraz Anees, Advocate for the petitioner was listed for preliminary hearing before this Court on 11th December, 2025, and the Court passed the following order:"Delay in refiling/curing the defects is condoned. Issue notice, returnable in four weeks. In the meantime, there shall be stay in the proceedings in H.M.A. No. 1032 of 2024 titled as "Shubham Chaudhary Vs. Lali Chaudhary" pending before the Principal Judge, Family Court, Indore, Madhya Pradesh.' And, Whereas, The matter was lastly listed before the court of Ld. Registrar on 11.05.2026, when the court was pleased to pass the following order:"As per office report, Ld. Counsel for petitioner has filed an affidavit of dasti service in respect of sole respondent after effecting service through courier.Service through courier is not considered as dasti service.Today, Ld. Counsel for appearing for the petitioner submits that permission be granted to effect service on sole respondent by substituted service through paper publication.Let appropriate application in this regard be filed on or before 25.05.2026.If the application is filed and is in order, the application is allowed. Proof of publication be filed before the next date of hearing. List the matter again on 15.7.2026."Now, Therefore, Take Notice that the above petition along with application for stay will be posted for hearing before this Court tentatively on the 15th July, 2026 and will be taken up by this Court on that day at 10.30 O'Clock in the forenoon or so soon thereafter as may be convenient to the court when you may appear before this Court either in person or through an Advocate on record of this Court duly appointed by you in that behalf and show cause to the Court as to why the prayer made in the transfer petition and application for stay may not be granted to the petitioner above-named.1You may file affidavit in opposition to the petition, as provided under Rule 3 Order XLI, S.C.R. 2013, not later than one week before the date appointed for hearing of the petition. Take Further Notice that if you fail to enter appearance, as aforesaid, no further notice shall be given to you and the matter above-mentioned shall be disposed of in your absence. Dated this the **05th June, 2026, Next Date of Hearing - 14-08-2026**

Assistant Registrar

संशोधन

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
CIN - U67100MH2007PLC174759
पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, पहली मंजिल, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई - 400098.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक **22.07.2026** को इसी समाचार पत्र में **''संशोधन सूचना''** शीर्षक से प्रकाशित विज्ञापन में ऋणी **चौधरी सुरेश (ऋण खाता क्रं. 611573619 एवं 611572917)** की संम्पत्ति की नीलामी दिनांक **28.07.2026** को की जानी थी जिसे तकनीकी कारणों से वापस ले लिया है/ निरस्त कर दिया गया है।
अन्य शेष विवरण यथावत रहेगा।

स्थान : मुम्बई ह/-
दिनांक : 25.07.2026 **प्राधिकृत अधिकारी**

Edelweiss Asset Reconstruction

जनधन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, इन्दौर संभाग: इन्दौर, मध्य प्रदेश
JANDHAN CREDIT Co-Operative Society Limited, Indore Reg. No.: JR/IDR/18/329

पंजीकृत पता :– 510 फार्चुन औरा गुरमीत नगर, एप्पल हास्पिटल के पास, मवरकुंआ इन्दौर
प्रधान कार्यालय :– 24/1 मोती तबेला फायर ब्रिगेड स्टेशन के सामने, कलेक्ट्रेट मेन रोड, इन्दौर 452007 (मध्यप्रदेश)

विशेष आम सभा की सूचना

समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था की विशेष आम सभा, दिनांक 30/07/2026 दिन गुरूवार को दोपहर 12.30 बजे संस्था के प्रधान कार्यालय 24/1 मोती तबेला, फायर ब्रिगेड स्टेशन के सामने कलेक्ट्रेट मेन रोड, इन्दौर पर आयोजित कि गई है। अतः सभी सम्माननीय सदस्यों से निवेदन है कि निर्धारित समय पर उपस्थित रहने का कष्ट करे।
कोरम के अभाव मे सभा की कार्यवाही आधा घण्टा स्थगित रखी जावेगी। तत्पश्चात निर्धारित दिन एवं निर्धारित स्थान पर उपस्थित सदस्यों द्वारा स्थगित बैठक की कार्यवाही संपन्न की जावेगी।

विषय-सूची

1. का. अध्यक्ष द्वारा विशेष आम सभा की शुरूवात एवं स्वागत।
2. संस्था के वर्तमान कार्यक्षेत्र इन्दौर सम्भाग का कार्यविस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश मे करने हेतु कार्यविस्तार करने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा करना।
3. कार्यविस्तार करने संबंधी संस्था की उपविधी मे आवश्यक संशोधन के विषय पर चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही कर सहकारिता विभाग से उपविधी मे संशोधन करवाना।
4. कार्यविस्तार करने संबंधी प्रस्ताव विशेष आम सभा मे पारित कर सहकारिता विभाग से अनुमति प्राप्त करना।
5. संस्था के इन्दौर सम्भाग के अंर्तगत खण्डवा, पिपलिया बुजर्ग एवं सेंधवा मे शाखा खोलने संबंधी चर्चा करना
6. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समय पर आने वाले अन्य विशयों पर विचार/चर्चा करना व स्वीकृति प्रदान करना।

इन्दौर **संचालक मण्डल की अनुशंसा से**
दिनांक : 14.07.2026 **प्रसन्ना चांडक**
का. अध्यक्ष

Chola Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: "चोला क्रेस्ट", सी54 और 55, सुपर बी-4, थिरु. वी.का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई 600 032.

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी की सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, नियम 9 (1) सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। (नियम 8 एवं 9)

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी रखी गई हैं और जिनका सकितिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें आगे **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के रूप में संदर्भित किया जाएगा। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री **"जैसी है, जहां है", "जैसी है वैसी ही" और "जो कुछ भी उपलब्ध है"** के आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट **https://bankauctions.in/** के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।

क्रमांक 1:
लोन अकाउंट नंबर .: TL01BPL0000059530, **उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, बंधककर्ता का नाम: 1. मेसर्स उमेश यातायात एजेंसी, (उधारकर्ता),** नंबर 545, सनशाइन पब्लिक स्कूल के पास, सुदामा नगर, इंदौर - 452009., **2. श्री यशवंत तलवार, (सह-उधारकर्ता),** नंबर 545, सनशाइन पब्लिक स्कूल के पास, सुदामा नगर, इंदौर - 452009., **3. श्रीमती मीराबाई ईश्वरदत्त, (सह-उधारकर्ता),** नंबर 545, सनशाइन पब्लिक स्कूल के पास, सुदामा नगर, इंदौर - 452 009., **बकाया राशि: 75,81,547/-, 09.07.2026 तक।**

अचल संपत्ति का विवरण: आइटम नंबर 1: अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा और टुकड़ा: ग्राउंड फ्लोर/हिस्सा नंबर G-01, कृष्णा पैलेस, प्लॉट/घर नंबर 545, सुदामा नगर, सेक्टर-A, तहसील और जिला इंदौर (म.प्र.)। इसका कुल क्षेत्रफल 113.99 वर्ग मीटर है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्व की ओर: सड़क; पश्चिम की ओर: प्लॉट/घर नंबर 544; उत्तर की ओर: प्लॉट/घर नंबर 546; दक्षिण की ओर: प्लॉट/घर नंबर 545-A।

आरक्षित मूल्य ₹55,57,500/-, ईएमडी: ₹5,55,750/-, बोली वृद्धि राशि 1,00,000/-

ई-नीलामी की तिथि और समय: 13/08/2026 - सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक (प्रत्येक बार 3 मिनट का असीमित विस्तार)।
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 11/08/2026, संपत्ति निरीक्षण की तिथि: नियुक्ति के अनुसार।

1. सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे https://bankauctions.in और www.foreclosureindia.com वेबसाइट देखें। ई-नीलामी के बारे में जानकारी, मदद, प्रक्रिया और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, इच्छुक बोली लगाने वाले M/s. 4 Closure से संपर्क कर सकते हैं (संपर्क व्यक्ति: श्री नितेश पवार, फोन नंबर: 8142000725, ईमेल: nithesh@bankauctions.in)।
2. नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए या ई नीलामी में भाग लेने के लिए कृपया https://bankauctions.in और https://cholamandalam.com/news/auction-notices पर जाएं या श्री अमित शर्मा (फोन: 7566766000) / श्री अभिजीत देशपांडे (फोन: 9867000553) से संपर्क करें।

यह नियम 8(6), नियम 8 और 9 तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत एक वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना भी है।

दिनांक: 25.07.2026 **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: इंदौर **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।**

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय :ऑफिस नं. 501 एवं 503, पाँचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुरबन (जिला), महाराष्ट्र - 400072
उज्जैन शाखा: 06/ प्रथम मंजिल, कमला नेहरू मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन 456010 (म.प्र.)
आगर शाखा: ग्राउंड फ्लोर, पूर्वी भाग पर मकान भूमि सर्वे नं.341/2, सारंगपुर रोड, छावनी नाका के पास, आगर 465441 (म.प्र.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 02000001692/ उज्जैन शाखा) नीतीन सिसौदिया (ऋणी) आयूष सिसौदिया, मनीषा सिसौदिया, पुष्पा बाई (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सं.नं. 164 मीन से एच.ओ. मकान नं. 522, सं.नं. 164 मीन से वार्ड नं. 25, सरस्वमी नगर के ज्ञात, लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर रोड, शाजापुर, म.प्र.- 465001, **चर्तु:सीमाएँ:** पूर्व: श्री गणेश मंदिर, पश्चिम: बामनिया जी का मकान, उत्तर: सरकारी ड्रेनेज, दक्षिण: कॉलोनी रोड	08-04-2026 & ₹ 8,00,015/-	23-07-2026
2	(लोन कोड नं. 11710000214/ आगर शाखा) फैजान मंसूरी (ऋणी) शाबीर खां एवं नसीम बी (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नं. 204/4/4/1/2, भैसोदा रोड, वार्ड नं. 1, नलखेड़ा, आगर मालवा, म.प्र.- 465445, **चर्तु:सीमाएँ:** पूर्व: आबीद खान का प्लॉट, पश्चिम: विक्रेता की शेष भूमि, उत्तर: विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण: रोड	14-04-2026 & ₹ 12,61,068/-	23-07-2026

स्थान : मध्य प्रदेश **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 25-07-2026 **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर

आधिपत्य की जाहिर सूचना (अचल/चल संपत्ति बाबत्)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) एवं 13 (12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके निम्न ऋणगृहिताओं से मांग सूचना की दिनांक से **60** दिन की समयावधि में ऋण राशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिताओं ने अदायगी में त्रुटी की है अत: ऋणगृहिताओं एवं जमानतदारों तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिनांक को सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है ऋणगृहिताओं को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करें यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के ऋणगृहिताओं के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार बंधक संपत्ति को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समय के संबंध में ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्रं.	शाखा का नाम	ऋणियों/जमानतदारों के नाम	मांग सूचना दिनांक / धारण दिनांक	अचल संपत्तियों का विवरण	₹ बकाया राशि
1	क्लॉथ मार्केट शाखा, इन्दौर	मेसर्स टेक सेक वर्ल्ड, प्रोप्रा.: श्री अनुज मंत्री पिता श्री राजेन्द्र कुमार मंत्री	12.05.26 / 20.07.26	मेसर्स टेक सेक वर्ल्ड, प्रोप्रायटर श्री अनुज मंत्री पिता श्री राजेन्द्र कुमार मंत्री के नाम पर स्टॉक एवं बुक डेब्ट्स का दृष्टिबंधक	52,36,889.00 + ब्याज एवं अन्य खर्चे - वसूली, अगर कोई
2	संयोगिता गंज शाखा, इन्दौर	श्रीमती नूर जहां पति अफजल खान पठान (ऋणी), श्री शेर अफजल खान पिता श्री खुरासन पठान (सह-ऋणी), श्री अयुब खान पिता श्री सिद्दिक खान (जमानतदार)	16.05.26 / 18.07.26	प्लाट नं. 21 (नया), पुराना नं. 18, शास्त्री कॉलोनी, केजीएन अपार्टमेंट, तहसील एवं जिला इन्दौर पर बना हुआ मकान का साम्यिक बंधक, **मालिक: श्रीमती नूर जहां पति शेर अफसल उर्फ शेरु, क्षेत्रफल: 1800 वर्गफीट, चर्तु:सीमा: उत्तर:** प्लाट नं. 22 (पुराना नं. 17), **दक्षिण:** प्लाट नं. 20 (पुराना नं. 19), **पूर्व:** 10 फीट चौड़ी गली, **पश्चिम:** 30 फीट चौड़ी गली	8,28,687.61 + ब्याज एवं अन्य खर्चे - वसूली, अगर कोई
3	सुदामा नगर शाखा, इन्दौर	मेसर्स किसान पेराडाईज, प्रो.: श्रीमती नीतु साहु पति अनुज साहु जमानतदार: 1. श्रीमती शिल्पी बांडिल पति अमित बांडिल, 2. श्रीमती आरती तोमर पति नरेन्द्र तोमर	23.04.26 / 23.07.26	सर्वे नं. 8/4, मौजा ग्राम चिलाचौन, पटवारी हल्का नं. 04, गोरा-चिलाचौन रोड, तहसील बाबई (माखन नगर) एवं जिला होशंगाबाद (नर्मदापुरम) पर स्थित सर्वे नं. 8/4 पर स्थित व्यवसायिक परिवर्तित भूमि का साम्यिक बंधक, **क्षेत्रफल: 0.809 हेक्टर, मालिक: नीतु साहु, आरती तोमर, शिल्पी बांडिल,** रजिस्टर्ड सेल डीड नं. MP169782022A1070182 दिनांक 21.01.2022 सब/ज्वाईंट रजिस्ट्रार होशंगाबाद में रजिस्टर्ड, **चर्तु:सीमा: पूर्व:** राम मंदिर की भूमि, **पश्चिम:** तुलसी राम की भूमि, **उत्तर:** लक्ष्मी नारायण की भूमि, **दक्षिण:** गौरा ग्रामीण रोड	1,19,61,500.62 + ब्याज एवं अन्य खर्चे - वसूली, अगर कोई

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 25.07.2026 **प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking | सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड, बैंगलूर - 562002
क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोन: 70499 19126

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **केनरा बैंक, सियागंज शाखा, इंदौर** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन **अधिनियम** 2002 की धारा के अंतर्गत, सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) **अधिनियम 2002 का अधिनियम संख्यांक 54** के साथ पठित, **सेक्शन 13 (12) नियम 3** के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को नोटिस जारी कर ऋणियों को नोटिस की तारीख/ नोटिस प्राप्ति को तारीख से **60 दिन** के अंदर उक्त खाते के सामने दर्शाई गई राशि अदा करने के लिए कहा था। ऋणी उक्त राशि चुकाने में असफल रहा है अत: ऋणियों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट के सेक्शन **13 (4)** उक्त एक्ट के साथ पठित उक्त रूल्स के नियम **9** के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित संपत्ति का कब्जा उक्त खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को ले लिया है। एतद् द्वारा ऋणियों को विशेष एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि उक्त संपत्ति विषयक कोई संव्यवहार न करें ऐसा कोई भी संव्यवहार वसूल की जाने वाली उल्लेखित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्चो हेतु **केनरा बैंक, सियागंज शाखा, इंदौर** के प्रभार के अधीन रहेगा।

क्रं.	शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	ऋणी/जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग नोटिस की बकाया राशि (₹)	मांग नोटिस की दिनांक / कब्जा लेने/चस्पा करने की दिनांक
1.	सियागंज शाखा, इन्दौर 8989989142	मेसर्स सम्पूर्ण इंटरप्राईजेस, प्रो. श्री दिवाकर प्रसाद शुक्ला एवं श्री दिवाकर प्रसाद शुक्ला पिता राम दयाल शुक्ला (ऋणी)	व्यवसायिक फ्लेट नं. 305, तीसरी मंजिल, श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स, प्लाट नं. 4, आरएनटी मार्ग, इन्दौर (म.प्र.) 452001, **क्षेत्रफल: 1889 वर्गफीट, मालिक: श्री दिवाकर प्रसाद शुक्ला पिता राम दयाल शुक्ला, चर्तु:सीमा: उत्तर:** सिढ़ी, **दक्षिण:** फ्लेट नं. 306, **पूर्व:** भवन की खुली जगह, **पश्चिम:** पेसेज	1,02,30,840.07 + दिनांक 01.05.2026 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे	07.05.2026 / 22.07.2026

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 25.07.2026 **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक**

परिशिष्ठ IV (नियम 8(1)) **आधिपत्य सूचना** (अचल संपत्ति हेतु)

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई 400098

जबकि यहाँ उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे यथा उल्लखित मांग सूचना जारी की थी जिमसें कर्जदार(ओं) से सूचना में उल्लिखित राशि उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से **60 दिनों** के अंदर भुगतान करने के लिए कहा।
इसके बाद, असाईनर संदर्भित ने अधोल्लिखित वित्तीय परिसंपत्तियाँ **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को स्वयं/अपनी **उल्लेखित विभिन्न ट्रस्ट के ट्रस्टी** की क्षमता से कार्यरत (यहाँ आगे **"ईएआरसी"** कहा गया है) असाइनमेंट एग्रीमेंट के अनुसार सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत एसाइन कर दीं। ईएआरसी असाईनर की भूमिका में आ गया और वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में विचाराधीन प्रतिभूति हितों, गारंटी, रेहनों सहित असाईनर के सभी अधिकार, हक और हित कर्जदार द्वारा ली गई वित्तीय सहायता के संबंध में **ईएआरसी** को निहित हो गए हैं और **ईएआरसी** प्रत्याभूत लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकार प्रयोग करता है।
कर्जदार द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी की क्षमता से अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** संपत्ति के समक्ष उल्लेखित दिनांक को ले लिया है।
उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप में सर्वजन को संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि और इस पर ब्याज के लिए **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

समनुदेशक का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता नंबर	उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना की राशि एवं सूचना दिनांक	कब्जे की तारीख	कब्जे की स्थिति
गृहम हाउसिंग लि. पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से ज्ञाता)	EARC TRUST SC-438	HM0180H 18100433	1. अजय रामचन्द्र (ऋणी) 2. कविता चांदने (सह-ऋणी)	रु. 8,14,379.72/- (रुपये आठ ला